भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4589

(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

प्रसारण सामग्री संबंधी शिकायतों के निवारण में बीसीसीसी की भूमिका

4589. श्री जी. कुमार नायकः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर स्पष्ट, आपत्तिजनक या हानिकारक सामग्री, विशेष रूप से नाबालिग दर्शकों तक, पहुँच को ध्यान में रखकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुये सामग्री को विनियमित करने के उपायों पर विचार कर रही है या उन्हें लागू कर चुकी है;

(ख) अनियंत्रित सामग्री की अप्रतिबंधित उपलब्धता, जो नाबालिगों के लिए हानिकारक हो सकती है या हिंसा, घृणास्पद भाषण या गलत सूचना को बढ़ावा दे सकती है, को रोकने के लिए स्थापित किए जा रहे दिशानिर्देशों या मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से आयु सत्यापन या सामग्री चेतावनी के बिना ऐसी सामग्री तक आसान पहुँच को देखते हुए सरकार किस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामग्री विनियमन की आवश्यकता के साथ संतुलित करने की योजना बना रही है; और

(घ) स्व-नियमन सुनिश्चित करने के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से नाबालिगों को दिखाये जाने वाली सामग्री से जुड़ी शिकायतों को दूर करने में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। आचार संहिता के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्मो का दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें जो वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा निषिद्ध हो।

प्लेटफार्मों के लिए आवश्यक है कि वे आयु-आधारित सामग्री का वर्गीकरण करें तथा पर्याप्त एक्सेस कंट्रोल उपायों का उपयोग करके बच्चों के लिए आयु-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करें।

ये नियम एक तीन- स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार है:

- स्तर I: प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन
- स्तर II: प्रकाशकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन
- स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र

आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के तहत समाधान किया जाता है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों को आईटी नियम, 2021 के अनुसार समाधान के लिए संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों को भेज दिया जाता है।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में गैरकानूनी सामग्री को हटाने/पहुँच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है। सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के कारण मार्च, 2024 में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों और जुलाई, 2025 में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को भारत में सार्वजनिक पहुँच के लिए अक्षम कर दिया है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जाँच के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

******